PREPARED BY- DR. MD. MOSHARRAF. HOSSAIN
ASST. PROFESSOR (Dept. of. HISTORY)
B.N. COLLEGE. BHAGALPUR
CONTACT (WHATSAPP NO) - 8084574945

TOPIC — कार्नवालीस के स्थायी व्यवस्था से क्या समझते हैं ? इसके गुण-दोष की व्याख्या करें।

Topic for - B.A - PART - III
(HISTORY - H)

Dr. M. Mosharraf Hossain
27.05.2020

प्रश्न : कार्नवालीस के स्थायी व्यवस्था से क्या समझते हैं? इसके गुण-दोष की व्याख्या करें।

उत्तर :— 1765 ई० में जैसे ही बंगाल सुबे की दीवानी कम्पनी को प्राप्त हुई भूराजस्व वसुली का दायित्व उसके हाथ में आ गया। परन्तु कम्पनी की तरफ से इस व्यवस्था में 1772 ई० तक कोई प्रयोग नहीं लाए गए और पूर्ववर्ती व्यवस्था ही प्रचलित रही जिसके तीन पक्ष थे — सरकार, जमींदार, और किसान। किसान उपज का एक अंश कर के रूप में देता था। सरकार भुमिकर अथवा लगान निर्धारित करती थी, और वसुली की जिम्मेवारी जमीन्दारों पर थी। जमींनदार एक मध्यस्थ वर्ग के रूप में किसान एवं सरकार के बीच कड़ी की भुमिका निभाता था। जमींनदार वसुली रकम 10% निजी कमीशन के रूप में रखकर शेष सरकार को जमा कर देते थे। परम्परानुसार - भुराजस्व वसुल करने का जमींनदार पद वंशानुगत हो गया। उस क्षेत्र की शाँति और व्यवस्था का दायित्व भी उसी जमींनदार पर थोप दिया गया। फलस्वरूप जमींनदार समाज में प्रभावशाली वर्ग बन गया। 1765 — 1772 ई० तक बंगाल में क्लाईव द्वारा दोहरा शासन स्थापित किया गया। वारेनहेस्टिंगस और उसके अधिकारी बंगाल में प्रचलित भु-राजस्व व्यवस्था को समझे बिना ~~जमींनदार~~ जल्दीबाजी में कुछ प्रयोग किए।

OBJECTIVE AND HYPOTHESIS: —→

वारेनहेस्टिंग्स के प्रयोग एकतरफा थे क्योंकि इसमें केवल कम्पनी के हितों को ध्यान में

Scanned with CamScanner

ध्यान में रखा गया। वह सूबा की आमदनी बढ़ाना चाहता था। अंग्रेज अधिकारी यह अनुभव किये की जमीनदार के बढ़ते हुए प्रभाव से सरकार को क्षति उठानी पड़ रही है। जमीनदार किसान से ज्यादा कर वसूल कर उनका शोषण करते हैं और उससे कम रकम खजाना में जमा करते हैं। इससे जमीनदार लाभ कमा रहे हैं, और किसान एवं सरकार दोनों ही धोखे में हैं।

——— वारेनहेस्टिंग्स ने प्रारम्भ में पाँच वर्ष और बाद में प्रतिवर्ष लगान वसूल करने की व्यवस्था की। दूसरा मुख्य परिवर्तन यह लाया गया की वसूली का दायित्व जमीनदारों से छीनकर उन लोगों को दिया गया जो सरकार को अधिक से अधिक लगान वसूल कर देने को तैयार हो। फलस्वरूप लगान वसूलने का अधिकार ~~[illegible]~~ नीलाम किया जाने लगा। यह एक निराला तरीका था इस प्रणाली में भू-राजस्व की वसूली में अनिश्चितता आ गयी। सरकार कोई अनुमान नहीं लगा सकती कि इस वर्ष लगान से कितनी आय होगी। इसमें प्रतिवर्ष उलझन आ गया। उधर किसान भी मुनाफाखोरों द्वारा शोषण से बुरीतरह शिकार हुए लगान बकाया रहने लगा। यह व्यवस्था और अधिक पेचीदा हो गई और असफल रही।

——— इन्ही परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए कार्नवालीस ने स्थायी प्रबंध व्यवस्था को लागू किया। इस प्रयोग में वह बहुत पूर्वाग्रहों से प्रभावित था। प्रथमत: संचालकमंडल की तरफ से ऐसा निर्देश दिया गया था — "उदार भू-राजस्व नियमित रूप से और ठीक समय पर वसूल किये जाए"।

वह कम्पनी के उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करता रहा। लेकिन इस आधार पर उसे भू-राजस्व मामला में कम्पनी के हाथ में कठपुतली कहना न्यायसंगत नहीं होगा। उसने 1793 ई० में स्थायी व्यवस्था के निर्धारण में स्वेच्छा से निर्णय लिया।

⟶ कार्नवालीस एक जमींदार घराना का था। संयोग से संचालकमंडल के कुछ सदस्य भी जमींदार घरानों का ही प्रतिनिधित्व करते थे। अतः इस व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से जमींदार वर्ग के प्रति पूर्णः विशेष सहानुभूति दिखलायी गई, यह ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें जमींदार वर्ग का प्रभाव बढ़ सके। ब्रिटेन में भी इस समय जमींदार वर्ग के पक्ष में बल दिया जा रहा था। अतः 1793 ई० के पूर्व ही अपने मनतव्य को कार्नवालीस ने इन शब्दों में व्यक्त किया था → "यह राज्य के हित में होगा कि भूमि का स्वामित्व ऐसे मितव्ययी वर्ग को मिले जो भूमि का सुधार कर सके। किसानों की रक्षा कर सके और देश को समृद्ध बना सके"।

— कार्नवालीस ब्रिटेन की खेती में जमींदारों के सहयोग से लायी गई प्रगति से भी प्रभावित था। वहाँ जमींदार अपनी निजि पूंजी को लगाकर खेती में सुधार लाए थे। कार्नवालीस अपनी व्यवस्था में सोचा की शायद बंगाल में भी कृषि की प्रगति में यह वर्ग सहायक हो सकता है। संक्षेप में कार्नवालीस ने खेती में पूँजी लगाने के उद्देश्य से स्थायी भूमि-व्यवस्था के पक्ष में अपना निर्णय किया था।

⟶ कार्नवालीस स्थायी भु-व्यवस्था प्रबंध को लागू करने के पीछे अस्थिरता को दुर करने के

Scanned with CamScanner

सिद्धान्त से प्रभावित था। वह चाहता था कि कम्पनी की नीति की जानकारी जनसाधारण को दिया जा सके। कार्नवालिस स्थायी व्यवस्था के पक्ष में था जबकि सर जान शोर इसके विरोध में था। वे राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष था। उसके अनुसार स्थायी प्रबंध के पूर्व राजस्व के सन्दर्भ में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है, और इसके लिए अभी समय चाहिए। वे कार्नवालीस के इस पूर्वाग्रह से भी सहमत नहीं थे कि जमींदार वर्ग के सहयोग से बंगाल की खेती में कोई सुधार लाया जा सकता है। अतः वे चाहते थे की स्थायित्व के प्रयोग के अपनाने के पूर्व जमींदारों के साथ एक दस वर्षीय व्यवस्था की जाए। सरजान शोर की आपत्तियों के बावजूद भी कार्नवालीस भु-राजस्व में स्थायी व्यवस्था के कार्यान्वयन के निर्णय के सन्दर्भ में अडिग रहा और इसको स्थगित करना अहितकर समझा। अतः इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार गर्वनर ही था।

FEATURES :→ इसकी पहली विशेषता रही कि इसमें समय-समय पर अपनाए जा रहे भूमि प्रबंध की जगह पर अस्थायी भु-प्रबंध को सदा के लिए स्थायी की संज्ञा दी गई। कार्नवालीस ने यह घोषणा की कि 1793 ई० में निर्धारित भु-राजस्व भविष्य में कभी नहीं बदला जाएगा। यह निर्धारण हमेशा के लिए किया जा रहा है। इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में लागू किया जाएगा।

इसमें चूँकी भु-राजस्व हमेशा के लिए किया जा रहा था इसलिए कम्पनी की तरफ से प्रयास रखा गया की यह रकम अधिक-से अधिक मात्रा

Scanned with CamScanner

में निर्धारित किया जाए। अतः 1765 ई० में जो लगान वसूल किया जाता था, उससे तीन गुणा अधिक राशी इसके अन्तर्गत निर्धारित किया गया। इससे कम्पनी को काफी लाभ होने की उम्मीद थी।

________ इसके भी तीन पक्ष थे – किसान, जमींदार और सरकार। इसके अन्तर्गत जमींदार और किसान के अधिकारों की घोषणा की गई लेकिन किसानों के हितों को ध्यान में नहीं रखकर उन्हें पूर्णतः जमींदार वर्ग की कृपा पर छोड़ दिया गया।

________ इस व्यवस्था में जमींदार वर्ग को सरकार के पक्ष में एक नया वर्ग के रूप में खड़ा किया गया। स्थायी भूमि व्यवस्था इसी जमींदार वर्ग के साथ की गई। इसका लक्ष्य था इस वर्ग को संतुष्ट करना। उसने सभी तरह के उन लोगों को जमींदार माना जो 1793 ई० में भू-स्वामी थे और उन्हीं को अधिकार प्रदान किया गया। ये सभी जमींदार जिनके साथ यह व्यवस्था लागू की गयी, वे चार तरह के थे। पहले वर्ग में स्वतंत्र सरदार थे, जो मुगलकाल से वार्षिक शुल्क के रूप में भू-राजस्व अदा करते थे। दूसरे वर्ग में वे जमींदार थे जो लम्बे समय से भू-स्वामी थे और बंगाल के शासक को लगान देते आ रहे थे। तीसरे वर्ग में वे थे जिन्हें मुगलों द्वारा भू-राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त था। चौथा वर्ग कम्पनी काल में उभरा था। जो राजस्व वसूल कर कम्पनी के खजाना में जमा करते थे। उन्हें नीलामी द्वारा यह अधिकार प्राप्त था। यहाँ जमींदार वर्ग को अपनाने के पीछे राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्वार्थ था।

Scanned with CamScanner

→ इसके द्वारा कम्पनी आर्थिक एवं प्रशासनिक उलझन से बच गई। दूसरी तरफ उनकी वफादारी का उपयोग राजनीतिक हित में भी किया जा सकता था।

जमींदारों का उपयोग भविष्य में विद्रोहों को कुचलने के लिए उपयोग में लाया गया, वहीं दूसरी ओर इस व्यवस्था से आर्थिक आय सुरक्षित हो गई।

⟶ इस स्थायी-भूमि व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह रही कि इसमें भूमि को सम्पत्ति के रूप में मानकर स्वामी को बेचने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं रही। इसके पीछे कार्नवालीस का दृष्टिकोण था कि अधिक से अधिक पूंजी भूमि को खरीदने में लगाया जाये — "भू-सम्पत्ति भारत में इतनी मुल्यवान हो जाएगी की पहले कभी नहीं थी"।

इसमें भू-~~[illegible]~~ स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत एवं हस्तांतरित रूप में प्रदान किया गया।

गुण: दोष :⟶ स्थायी व्यवस्था पर इतिहासकारों के विचार बंटे हुए हैं कुछ प्रशंसक हैं तो कुछ आलोचक हैं। मार्शमैन के शब्दों में — "यह एक साहसिक, निर्भीक एवं राजमददारी का कदम था।" कुछ ने इसे जनकल्याणकारी कहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी जमकर की गयी है। टी० आर० होम्स इसे — "दुखदायी और भारी भूल" कहा है। थार्नटन के अनुसार — यह बन्दोबस्त अज्ञानता के गहरे प्रभाव में था। यही कारण है की इसे केवल बंगाल में ही प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया। देश के अन्य क्षेत्रों में अन्य तरह की व्यवस्थाएं भी लागू रही।

Scanned with CamScanner

इस व्यवस्था के गुण दोष दोनों ही महत्वपूर्ण रहे।

गुण :→ (I) इससे सरकार लाभ में रही। प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशी प्राप्त होने लगी। पहले यह राशि अनिश्चित रहती थी और घटती बढ़ती रहती थी। कम्पनी इस निश्चित आय के अनुसार विकास की अन्य योजनाओं को बना सकती थी। इससे भू-राजस्व भी बढ़ गया क्योंकि चुँकी यह हमेशा के लिए निर्धारित हो रहा था। इसलिए अधिक राशि निर्धारित की गई।

(II) लाखों कृषकों से राजस्व को वसुलने की जगह इस व्यवस्था में जमींदारों को ही केवल माध्यम अपनाया गया। जो सस्ता एवं कम उलझनपूर्ण था। कम्पनी के अधिकारीयों को पहले काफी समय देना पड़ता था। किसानों का शोषण भी रुक गया। जमींदारों द्वारा बार-बार लगान के निर्धारण के बोझ से किसानों को मुक्ति मिल गई। अब दोनों पक्षों को ज्ञात था की कितना लगान देना है और कितनी राशि जमा करनी है।

(III) जमींदार लगान वसुल करते थे और अपने क्षेत्र में शाँति व्यवस्था भी कायम करते थे। कार्नवालीस उनके प्रशासकीय अधिकारों को समाप्त कर दिया। इसके बावजुद भी जमींदार वर्ग काफी संतुष्ट था। उसे बहुत लाभ प्राप्त हुआ। वह अंग्रेजों के हित का रक्षक एवं शुभचिंतक वर्ग के रूप में उभरकर आया। वे अंग्रेजों के वफादार रहे। इससे अंग्रेजों को राजनीतिक लाभ भी मिला।

Scanned with CamScanner

(4) इससे कृषि में लाभ की उम्मीद जगी क्योंकि किसानों को देयरकम निर्धारित हो गयी। जमींनदार भी अपनी आय को कृषि के विकास में व्यय कर सकते थे। बार-बार राजस्व निर्धारित करने की व्यवस्था से मुक्ति मिलने पर कृषि में स्थिरता आयी। बंगाल में अधिक से अधिक भूमि को खेती योग्य बनाया गया। जंगल को काटकर खेत बनाए गए। नये गाँव बसे।

(5) इसमें भूमि को सम्पत्ति का रूप देकर भू-स्वामित्व के अधिकार को स्थायी एवं हस्तांतरित रूप में स्वीकार किया गया। इससे भूमि के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण जगा।

(6) इससे कम्पनी के प्रशासन में सुधार आया। अब कम्पनी के अधिकारी सीधे किसानों से राजस्व वसूलने में कमी देकर इससे मुक्त होकर अपना समय एवं शक्ति अन्य प्रशासनिक सुधारों के प्रति लगाया।

(7) एम० एस० जैन - के अनुसार - इसके पीछे इस व्यवस्था पर बल दिया गया था, धन निष्कासन में मदद मिलेगी। जमींदारों को लगान वृद्धि के भय से छुट देकर निर्यात व्यापार के लिए अधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। बंगाल से व्यापार के माध्यम से ही धन का निष्कासन हो सकता था। अतः इंग्लैण्ड के शासकों को स्थायी व्यवस्था पर स्वीकृति देने के पीछे यही आकर्षण काम कर रहा था।

Scanned with CamScanner

दोष :→

(1) इससे कम्पनी की आय तो निश्चित हो गयी लेकिन भविष्य में नुकसान हुआ। क्योंकि जमीनदारों की आय बढ़ गई। कृषि का विस्तार हुआ लेकिन कम्पनी राजस्व अब नहीं बढ़ा सकती थी।

(2) कार्नवालीस को आशा थी की ब्रिटेन के जमींदार की तरह बंगाल के जमींदारों से कृषि के विकास में मदद मिलेगी लेकिन इस आशा पर पानी फिर गया। जमीनदारों ने सिंचाई व्यवस्था पर खर्च नहीं किए।

(3) इसमें भु-राजस्व की वसुली के सन्दर्भ में कठोर कानुन थे बदले समय पर भु-राजस्व नहीं जमा करने पर सम्पत्ति की कुरकी की जाती थी। अब उनकी जमीनदारी बेच दी जाती थी या भुमि पर से उनका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता था। इससे जमीनदार वर्ग वफादार बनने की जगह असंतुष्ट रहने लगा।

(4) लगान नहीं जमा करने पर भुस्वामित्व बेच दिया जाता था। व्यापारी वर्ग भु-स्वामित्व खरीदने लगे इससे बंगाल के गावों के सामाजिक संगठन में परिवर्तन आया।

(5) इसमें किसानों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहे। किसान की मेहनत से ही जमींदार धनी हो सके थे। लेकिन किसानों की स्थिति ही दयनीय बना दी गई। जब अधिक लोग खेती के लिए लालायित हुए तो जमीनदारों ने किसानों से ज्यादा लगान की मांग करने लगे। किसान यदि पुरा नहीं करते तो उन्हें बेदखल कर दिया जाता था।

Scanned with CamScanner

जमीनदार के अत्याचार के विरुद्ध उन्हें कहीं न्याय नहीं मिला। अपील का न्यायालय था, लेकिन किसानों के लिए मँहगा था और वहाँ भी न्याय प्रायः जमीनदारों के पक्ष में ही जाता था।
बेवरीज महोदय ने लिखा है → "केवल जमीनदारों के साथ समझौता करके और किसानों के अधिकार को पूर्णतया भुलाकर एक महान भूल किया गया"।

(6) इसमें वंशानुगत किसानों को भूमि के अधिकार से वंचित करना एक महान अन्याय था।

(7) सामाजिक संगठन की दृष्टि से भी यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी सबल जमीनदार वर्ग को सम्पत्ति का अधिकार मिला। उन्हें अनेक सुविधाएँ दी गई। किसानों को इन दुष्ट भेड़ियों की दया पर छोड़ दिया गया। वे किसानों पर अत्याचार करते रहे। गाँव में जमींदारों का बोलबाला रहा। दूसरी तरफ किसानों के कष्ट निवारण के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं किया गया। अतः ठीक ही कहा जाता है की कार्नवालीस ने स्थायी बन्दोबस्त में उन कार्यों को पूरा किया जिनकी शुरुआत वारेन हेस्टिंगस के समय में की गयी थी। वे इस भू-राजस्व प्रणाली को ठीक से समझ नहीं सके। सुधार करते समय भारतीयों को इससे अलग रखना एक भूल थी। S.P. NAUL ने कार्नवालीस इन बंगाल में लिखा है — "जमींदारों को वे अधिकार मिले जो कभी प्राप्त नहीं थे"। बंगाल में इसके प्रयोग से निधर्नता और असंतोष पैदा हुआ।"

(8) यह व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक दोषों के लिए भी उत्तरदायी रही। एम० एस० जैन के शब्दों में ⟶

Scanned with CamScanner

"इससे बंगाल में मुकदमा-बाजी की संख्या बढ़ गई। विपन चन्द्र के शब्दों में → "रैयत की भलाई स्थगित ही नहीं रही अपितु हमेशा के लिए समाप्त हो गई। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग निर्धनता का बुरी तरह शिकार हुआ।

निष्कर्ष :→ कार्नवालीस का स्थायी प्रबंध दोष एवं गुण से युक्त रहा। इसका लक्ष्य एक स्थायी आय को एक मध्यस्थ वर्ग के माध्यम से वसूलना था। अपने इस लक्ष्य में वह सफल रहा लेकिन यह व्यवस्था एकतरफा थी। जिसमें केवल जमीनदारों के हितों को ध्यान में रखा गया। और ~~किसानों~~

सेटनकार के शब्दों में → किसानों के हितों को स्थगित कर दिया गया।

यह मूल्यांकन एकतरफा है क्योंकि स्थगित नहीं अपितु समाप्त कर दिया गया। अतः यदि इसमें किसानों के हित एवं अधिकार की विवेचना की जाती तो ज्यादा सफल एवं कम आलोचनीय रहता।

इससे जमींदारों एव किसानों का संबंध बिगड़ा। मुकदमाबाजी की संख्या बढ़ गई। अतः स्थायी व्यवस्था बंगाल एवं बिहार में सामाजिक तथा आर्थिक दोषों के लिए उत्तरदायी रहा। ऐसी अटकलबाजी लगाई जाती है की कार्नवालीस एक जमीनदार घराने के होने के कारण भारत में कम्पनी के पक्ष में जमीनदारों के भी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। लेकिन आलोचकों ने इसे गलत कहा है।

एम० एस० जैन महोदय के शब्दो में → "यह कार्नवालीस का लक्ष्य नहीं था।

इस समय कम्पनी के सामने कोई आन्तरिक और बाह्य खतरा नहीं था। स्थायी व्यवस्था से प्रभावित जमींदार वर्ग खुश नहीं अपितु असंतुष्ट था। कृषि उत्पादन के मुल्यों में वृद्धि और कृषकों पर अत्यधिक लगान बढ़ाने का परिणाम यह हुआ की एक नया जमींदार वर्ग ~~[illegible]~~ उत्पन्न हो गया। यह जमीनदार पुर्णतया नया और 18वी० शदी के मध्य के जमीनदार वर्ग से भिन्न था। इसी वर्ग के प्रतिनिधियों ने 19वी० शदी में स्थायी व्यवस्था को अत्यधिक लाभदायक बतलाया है।